सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार जो सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/ सीएमडी 1/27/ 2019 दिनांक 8 फरवरी 2019 के साथ पढ़ा जाए)

प्रति
सदस्य गण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने भारतीय स्टेट बैंक (इसके पश्चात "बैंक" कहा गया है) पर लागू सांविधिक प्रावधानों और अनुशासन व्यवहारों की उनके द्वारा अनुपालन की सचिवालयीन लेखा परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस ढंग से की गई है कि जिससे हमें कारपोरेट व्यवहारों/ सांविधिक अनुपालनों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिल सके।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फार्मों और दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और सचिवालयीन लेखा परीक्षा के दौरान बैंक इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक द्वारा लेखापरीक्षा अवधि अर्थात 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान यहां इसके नीचे दी गई सूची के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उचित बोर्ड कार्य-प्रणालियों और अनुपालन-तंत्र की यहां इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं, ढंग और उसके अधीन व्यवस्था की गई है:

हमने बहियों, कागजात, कार्य-विवरण बही, फार्मों और दायर की गई विवरणियों तथा बैंक द्वारा 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच-पड़ताल निम्न प्रावधानों के आधार पर की है:

भारतीय स्टेट बैंक का अधिनियम, 1955 ("अधिनियम") और उनके तहत बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 ("विनियम");

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उनके तहत बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागारा अधिनियम, 1996 और उनके तहत बनाई गई उप-विधियां;

iv. विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 और उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों जहां तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों का संबंध है;

v. निम्नलिखित भारतीय विनियम और दिशानिर्देश जहां तक भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") का संबंध है:-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अर्जन) अधिनियम 2011;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम 1915;

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम 2018;

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हित लाभ) विनियम 2014;#

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (कर्ज प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम 2008;

च. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (निर्गम पंजीकरण और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम 2009 #;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम 2018 #;

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम 1996

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013;

ट. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स) विनियम 1992;

ठ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडरराइटर) विनियम 1993;

ड. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर) विनियम 1994;

ढ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बैंकर्स टू ए इश्यू) विनियम 1994 ;

ण. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम 1993;

त. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम 1996; तथा

थ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम 2015

#विनियम या दिशा निर्देश जैसा, भी मामला हो समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं हो सकता है।

बैंक के लिए विशेष रूप से लागू अधिनियमों कानूनों और विनियमों की सूची नीचे दी गई है:

vi. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, के रूप में संशोधन।

vii. आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश।

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 सूचीकरण विनियम के लिए लागू खंड के अनुपालन की जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों इत्यादि प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित को छोड़कर कुछ हद तक लागू है:

क) 31 मार्च 2021 तक बैंक के केंद्रीय बोर्ड में 13 निदेशक शामिल हैं, जिनमें (05) पांच कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष और (04) चार प्रबंध निदेशकों सहित),

(05) पांच स्वतंत्र निदेशक और (03) तीन गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र निदेशक हैं। लिस्टिंग विनियमन के विनियम 17(1) के अनुसार, अध्यक्ष को एक कार्यकारी निदेशक होने के नाते, निदेशक मंडल में कम से आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए जबकि केंद्रीय बैंक बोर्ड में केवल (05) पांच स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। इस प्रकार बैंक के पास स्वतंत्र महिला निदेशक सहित केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं थी। हालांकि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 15 में प्रावधान है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955 की धारा 19 के संदर्भ में केंद्रीय बोर्ड के गठन के संबंध में लिस्टिंग विनियम के विनियमन 17 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए सामान्य नियम और विनियम बैंक पर इस सीमा तक लागू होंगे कि वह संबंधित प्राधिकारणों द्वारा जारी किए गए संबंधित संविधियों और दिशा-निर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

ख) बैंक की लेखा परीक्षा समिति में आठ (08) निदेशक शामिल हैं जिनमें तीन (03) स्वतंत्र निदेशक और दो (02) कार्यकारी निदेशक सहित छह (06) गैर-कार्यकारी निदेशकों का गठन 31 मार्च 2021 को किया गया है। बैंक ने लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 18 (1) के तहत आवश्यक समीक्षाधीन अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -

उपर्युक्त को देखते हुए बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकों का कार्यक्रम तय करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, एजेंडा और एजेंडे में विस्तृत नोटों को बैठकों के लिए पहले से भेजा गया था और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए और कार्यविवरणों की समीक्षा करते हुए कोई असहमति विचार नहीं देखा गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने घटनाओं/कार्यों का अनुसरण किया है:

हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्निलिखित घटनाओं/कार्यों का अनुसरण किया है:

i) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) पूंजी के तहत बेसल 3 अनुपालित डेब्ट लिखत 9000 करोड़ रुपए तथा टियर 2 पूंजी रुपए 21,015 करोड़ निजी प्लेसमेंट इश्यू के माध्यम से जुटाने का अनुमोदन दिया है।

ii) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निदेशक समिति ने AT 1 पूंजी के तहत 6500 करोड़ रुपए तथा टियर 2 पूंजी 20,931 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बेसल 3 अनुपालित डेब्ट लिखत आवंटित किया।

iii) बैंक की केंद्रीय बोर्ड (ईसीसीबी) की कार्यकारिणी समिति ने 8 जुलाई, 2020 को संपन्न अपनी बैठक में यस बैंक लिमिटेड के अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) में निवेश के लिए मंजूरी दी थी जिसके बाद यस बैंक लिमिटेड के 2 रुपये के अंकित मूल्य के 1,46,66,66,000 इक्विटी शेयर बैंक को आवंटित किए गए थे।

iv) बैंक की केंद्रीय बोर्ड (ईसीसीबी) की कार्यकारी समिति ने 8 जुलाई, 2020 को हुई बैठक में मंजूरी दे दी, जहां बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीआईकैप इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करेगी ताकि एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड (एसएसएल) इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ब्रोकिंग एंड रिसर्च बिजनेस को ऐसी संयुक्त उद्यम इकाई में स्थानांतरित करने के साथ-साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए हासिल करेगी।

v) 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने AT 1 बांड कुल 200 करोड़ रुपये और टियर 2 बांड को 16,647.83 करोड़ रुपये के लिए भुनाया; कुल बॉन्ड 16,847.83 करोड़ रुपये के लिए भुनाया।

vi) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 16 मार्च, 2021 को पत्र के माध्यम से बैंक विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 (1) (बी) (ii) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए जो कर्मचारी कमीशन के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए था जिसके लिए आरबीआई द्वार बैंक को विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे बैक पर 2 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया।

कृते **भंडारी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
Firm Registration No.: P1981MH043700

एस एन भंडारी
पार्टनर एफसीएस नं : 761 सी पी नं : 366
मुंबईः 21 मई 2021
UDIN: F000761C000349461

*इस रिपोर्ट को हमारे यहां तक की तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो **एनेक्सचर ए** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।*